प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्तावन'

[13/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 2311]

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक/आ.जा.क./स्था./2018/4939 श्योपुर, दिनांक 01/03/18

प्रति,

आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग
म.प्र. भोपाल

विषय :– आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर कराहल में कुमारी कविता पुत्री बारेलाल की मृत्यु के संबंध में प्रतिवेदन।

सन्दर्भ :– श्रीमान् के कार्यालय से दूरभाष पर प्राप्त निर्देश।

– 000 –

उपरोक्त विषयान्तर्गत आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर कराहल में कुमारी कविता पुत्री बारेलाल की मृत्यु दिनांक 11.01.2018 को होने संबंधी जानकारी प्रभारी प्राचार्य के पत्र क्रमांक 283 कराहल दिनांक 19.01.2018 से प्राप्त हुई, छात्रा की मृत्यु जिला चिकित्सालय श्योपुर में दौरान उपचार हुई, संबंधित संस्था की अधीक्षिका द्वारा उक्त संबंध में यथा समय सूचना नहीं देने का दोषी पाया गया इस प्रकार अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता के कारण संबंधित अधीक्षिका श्रीमती दुर्गेश खड़ियार (सहायक अध्यापक) को तत्काल प्रभाव से कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था./2018/4270 श्योपुर दिनांक 19.01.2018 से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड कराहल किया गया, निलम्बित अधीक्षिका द्वारा दिनांक 23.01.2018 को रात में संस्था से खाद्य सामग्री एवं खाना बनाने का अन्य सामान (सिलेण्डर आदि) अपने घर ले गई, संस्था में प्रवेशित छात्राओं ने यह सोचकर कि अब हम क्या खायेंगे, दिनांक 24.01.2018 को सुबह सी.डब्ल्यू.सी. परिसर के सामने रोड पर जाम लगा दिया गया, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों के द्वारा छात्राओं को समझाने पर जाम खोला एवं तत्समय ही कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था./2018/4302 दिनांक 24.01.2018 से श्रीमती उर्मिला चौहान अधीक्षिका अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक जूनियर कन्या छात्रावास कराहल को अतिरिक्त प्रभार सौंपकर खाना तत्काल तैयार कराये जाने के निर्देश दिये गये, वर्तमान में संस्था में प्रवेशित छात्राओं की कोई शिकायत नहीं है, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील कराहल के प्रतिवेदन क्रमांक/रीडर/2018/87 कराहल दिनांक 24.01.2018 एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड कराहल के प्रतिवेदन क्रमांक/स्था./2018/124 दिनांक 10.02.18 से जमा प्रतिवेदन प्राप्त हुए है।

प्रकरण में दोषी अधीक्षिका श्रीमती दुर्गेश खड़ियार को उपरोक्त के क्रम में कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/स्था./2018/4905 श्योपुर दिनांक 27.02.2018 से आरोप–पत्र, आधार–पत्र आदि जारी कर खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड कराहल के माध्यम से तामील करा दिये गये है।

अतः कुमारी कविता पुत्री बारेलाल की मृत्यु के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)